भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1404
उत्तर देने की तारीख 10 फरवरी, 2021

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी

1404. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक, श्री चंद्रशेखर साहू, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री सुधीर गुप्ता, श्री बिद्‌युत बरन महतो:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी अत्यंत खराब है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्‌वारा देश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल टावरों की स्थापना करने के लिए कितने स्थानों को चिन्हित किया गया है;

(घ) इनमें से ऐसे स्थानों की संख्या कितनी है, जहां इन मोबाइल टावरों को अब तक पहले से ही स्थापित किया जा चुका है;

(ड़) चिन्हित किए गए ऐसे स्थानों की संख्या कितनी है, जहां इन टावरों को स्थापित नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्‌वारा देश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल टावरों के विस्तार के लिए क्या प्रयास किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

संचार, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्‌योगिकी राज्य मंत्री
(श्री संजय धोत्रे)

(क) और (ख): वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित 11 राज्यों के 90 जिलों के कुल बसे हुए 96794 गांवों में से 85,894 गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी है। शेष गोवों में मोबाइल सेवाएं न होने के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ दूर-दराज एवं दुर्गम क्षेत्र, तितर-बितर जनसंख्या वाले दुर्गम क्षेत्र और वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य प्रचालन शामिल हैं।

जारी.......2/

(ग) से (च): मोबाइल सेवा से वंचित गांवों में सरकार और दूरसंचार सेवा प्रदाता चरणबद्ध आधार पर मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान कर रहे हैं। सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के तहत वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्र चरण-। स्कीम को मंजूरी दी गई है। एलडब्ल्यूई राज्यों में निर्धारित किए गए स्थानों पर 2,343 मोबाइल टॉवर संस्थापित किए गए हैं और ये मोबाइल सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। यूएसओएफ के तहत वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्र चरण-।। स्कीम को मंजूरी दी गई है, एलडब्ल्यूई राज्यों में मोबाइल टावरों के लिए 2,542 स्थान निर्धारित किए गए हैं। एलडब्ल्यूई चरण-।। स्कीम के तहत निर्धारित किए गए टॉवर स्थलों का राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य	गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए टॉवर स्थलों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	346
2	बिहार	16
3	छत्तीसगढ़	971
4	झारखंड	450
5	मध्य प्रदेश	23
6	महाराष्ट्र	125
7	ओडिशा	483
8	तेलंगाना	53
9	उत्तर प्रदेश	42
10	पश्चिम बंगाल	33
	कुल	**2542**

*****